

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-27 / 2026

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार पटना के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के मूल कोटि के पद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक-24.09.2026 से 23.10.2026 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अध्याची विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रोस्टर के अनुसार भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष हेतु कोटिवार पद की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

पदनाम		वेतनमान		योग्यता					
भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष		पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-9 (रूपये- 53,100- 1,67,800)		(i) शैक्षणिक अर्हता:- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० वी० एस० सी० (B.V.Sc.) अथवा बी० वी० एस० सी० एण्ड ए० एच० (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री अनिवार्य होगी। (ii) अभ्यर्थी को बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।					
पदों की कोटिवार विवरणी।									
अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	कुल	दिव्यांग (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)
बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण सहित									
215+13*	55	207 (114)	13 (7)	195 (90)	78 (10)	11	787	VH-06+03* HH-06+03* OH-05+03* MH-05+04*	11
75	19	33	02	37	24	00	190		

नोट:- (i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VH/VI-अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता, HH-बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास दिव्यांगता, OH-चलन दिव्यांगता (प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण), MH-स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता दिव्यांगता/बहुदिव्यांगता।

नोट:- (ii) *गत विज्ञापन के अन्तर्गत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर चयन के क्रम में दिव्यांग कोटि हेतु कर्णांकित रखे गये कुल-13 पद (VH-03, HH-03, OH-03 एवं MH-04) हैं, जिन्हें अनारक्षित कोटि में अनुमान्य किया गया है।

नोट:- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-12535, दिनांक-17.09.2018 के आलोक में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

नोट:- (iv) लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याची एवं अन्य विभागों से सदृश पद पर चयन हेतु अध्याचना प्राप्त होने पर सभी अध्याचित रिक्तियों को प्रस्तुत विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है तथा अध्याचना में संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट:- (iv) उक्त कोटिवार पदों की विवरणी तालिका में कोष्ठक '()' में दर्शायी गयी रिक्तियाँ बैकलॉग का द्योतक है।

2. आयु सीमा:—

- (i) 01.08.2026 को न्यूनतम आयु :- 21 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:—

(a) अनारक्षित:— 37 वर्ष

(b) अनारक्षित महिला:— 40 वर्ष

(c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला):— 40 वर्ष

(d) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला):— 42 वर्ष

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iv) बिहार सरकार या बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी गैर निजी संस्थान (यथा भारत सरकार/किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय) में समान पद पर किया गया कार्य एवं डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में संविदा के आधार पर कार्यरत पशु चिकित्सकों को कार्य अवधि के समतुल्य अवधि के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 08 वर्ष होगी। उम्र सीमा में छूट की गणना का Cut-off date- 01.08.2026 होगा।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-212, दिनांक-23.01.2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद हेतु पिछली नियुक्ति प्रक्रिया में 01.08.2021 की तिथि से उम्र की गणना की गयी थी। अतः वैसे अभ्यर्थी, जो दिनांक-01.08.2021 से 01.08.2026 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गये हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।
- (vi) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-5374, दिनांक-02.04.2013 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/समर्पित करना अनिवार्य होगा।

- (vii) किसी अभ्यर्थी को कंडिका-2(ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा।

3. आरक्षण:—

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:—
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोट:- (i) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

(iii) आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v)(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं०-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में महिलाओं के लिए अनुमान्य कोटिवार 35% क्षैतिज आरक्षण मात्र बिहार के स्थाई निवासी को ही अनुमान्य होगा।

(vi)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जाँच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जायेगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जायेगा।
- (ग) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40 प्रतिशत या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (ix) ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नतीनी/कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722 दिनांक-12.09.2014 एवं पत्रांक-10579 दिनांक-15.06.2026 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।
4. **आवेदन शुल्क:-** सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-15568 दिनांक-21.08.2025 के आलोक में Online आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क 100 रु० निर्धारित है।
अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से Online Mode से ही जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
(Note:- Payment of fee shall be accepted through online mode only.)
ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
5. **फोटो पहचान पत्र (Photo ID):-**
उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या (Aadhar No.) अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किये गये फोटो पहचान पत्र को परीक्षा/काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
6. **चयन की प्रक्रिया:-** आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।
- (i) **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:-**

(a)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (Computer Based Test) के लिए पूर्णांक	75 अंक
(b)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रतिवर्ष कार्यरत वर्ष के लिए 05 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)	25 अंक
कुल:-		100 अंक

नोट:- (I) अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा। यथा यदि- किसी अभ्यर्थी को कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसे $60 \times 0.75 = 45$ अंक दिये जायेंगे।

(II) संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता अथवा अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य के अन्दर किसी गैर निजी संस्थान (यथा भारत सरकार/किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय) में समान पद पर किया गया कार्य अनुभव मान्य होगा। साथ ही डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों और बिहार सरकार के किसी भी विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव के लिए भी अधिमानता दी जाएगी।

(ii) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा- आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए **Computer Based Test** के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
- परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।
- अध्याची विभाग द्वारा निर्धारित बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के Website पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।
- उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
- परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) अंक काटा जाएगा।
- उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा-फल घोषित किया जाएगा।
- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्ता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों (महिला एवं दिव्यांग सहित) को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक (40%) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

नोट:- प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

(iii) कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। बिहार सरकार या बिहार राज्य के अन्दर किसी गैर निजी संस्थान (यथा भारत सरकार/किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय) हेतु वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-I के प्रारूप में संबंधित संस्थान के अनुशंसा पर निदेशक, पशुपालन,

357

बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा। कार्यानुभव आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना 24.09.2026 तिथि तक की जायेगी।

- (iv) वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंको का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) नियमानुसार, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कंडिका-5(i) में वर्णित प्रावधानानुसार कोटिवार मेधासूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

7. **महत्वपूर्ण निर्देश:**—ऑनलाइन आवेदन-पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, यथा—

- (i) Matriculation का मूल प्रमाण-पत्र
- (ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०वी०एस०सी० (B.V.Sc.) अथवा बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र या औपबंधिक (Provisional) प्रमाण-पत्र
- (iii) अभ्यर्थी को बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण-पत्र
- (iv) जाति प्रमाण-पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र
- (v) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र
- (vi) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
- (vii) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण-पत्र
- (viii) वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (विहित प्रपत्र में)

से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन में किया जाना एवं विहित Column में Upload किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र दिनांक—23.10.2026 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।

8. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9. वैसे प्रमाण-पत्र/अंक पत्र जिसका उल्लेख/Upload Online Form में नहीं किया गया होगा, को आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर अर्हता/आरक्षण/कार्यानुभव के अधिमानता से वंचित रहने हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उक्त के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में केवल वही प्रमाण-पत्र/अंक पत्र का मूल से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा, जो अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में Upload किया गया है। अन्य कोई भी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में Upload किये गये सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों को आयोग के Website से Download कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निदेश है कि Online आवेदन में सुस्पष्ट एवं Clear दस्तावेज जो सही तरह से Scanner के माध्यम से Scan किया

गया हो, को Upload करेंगे। धुँधला/अस्पष्ट/काला/अपठनीय दस्तावेज/प्रमाण-पत्र Upload होने पर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
12. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
14. आयोग द्वारा निर्धारित लिथि को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु किसी भी दावे पर आयोग का निर्णय मान्य होगा।
15. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफः**—(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।

35

(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।

(घ) कंडिका-15(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(x) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधिकांश विभागों/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट:-1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

2. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों या अन्य अभिलेखादि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो आयोग सम्बन्धित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24.9.2026

प्रभारी सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट-I

संस्थान/कार्यालय का नाम:-.....

वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र

ज्ञापक:-.....

दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पिता पता

की नियुक्ति/नियोजन विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....

दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर

(पदनाम) के पद पर नियुक्ति के पश्चात्

..... (कार्यालय का नाम) में.....

(पदनाम) के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनके वेतन भुगतान की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कब से (तिथि)	कब तक (तिथि)	कुल अवधि	मासिक वेतन/मानदेय	कुल भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1						
2						
3						
कुल अवधि:-						

नोट:- विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश संलग्न करें।

(हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

पदाधिकारी का पूरा नाम:-.....

पदनाम:-.....

प्रशासी विभाग का नाम:-.....

नोट:- (i) कार्यरत होने परन्तु किसी कारण से संबंधित अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में कार्यरत अवधि का उल्लेख करते हुए भुगतान नहीं होने की विवरणी कारण सहित अभ्युक्ति Column में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दर्ज की जायेगी।

नोट:- (ii) अभ्यर्थी के कार्यावधि का विनिश्चय वेतन भुगतान की अवधि के आधार पर किया जायेगा।



DailySarkariJobs.com

— Where Sarkari Naukri Finds You

सरकारी नौकरी की हर अपडेट, सबसे पहले

Latest Jobs | Admit Card | Result | Answer Key | Syllabus

Never Miss an Update



Join our Telegram Channel

Tap here → every new notification, as it comes

t.me/DailySarkariJobsOfficial



Scan to join



Join our WhatsApp Channel

Tap here → job alerts straight to your phone

whatsapp.com/channel/...Vb8fNtbEKyZCKd5VEw3b



Scan to join

Full details, simply explained

Eligibility, vacancies, fees, dates and direct apply links, all on one page.

[Age Calculator](#)

[Photo & Signature Resizer](#)

[Browse by State & Qualification](#)



Visit website

Why Aspirants Follow Us



Fast Updates

New notices, admit cards and results posted the same day



Checked Details

Every post is checked against the official notice



Simple & Free

Plain-language guides, no fees and no sign-up



Preparing with friends? Forward this PDF — one share could help a friend land their Sarkari Naukri.

Please note: This page has been added by DailySarkariJobs.com for readers' convenience. It is **not part of the official notification**. The pages before this one are reproduced from the official source without changes. Always confirm dates, eligibility and fees on the official website of the recruiting organisation before applying.

★ Latest Govt Job Updates, Every Day ★



Follow us on Instagram: [@thedailysarkarijobs](#)